जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / प्रशा० / प्रवेश / 2021 / 4709 दिनांक 22/11/2021

// अधिसूचना //

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश कंमाक / 908 / 227 / सी.सी. / 2021 / अडतीस, भोपाल 18.11.2021 एवं मध्यप्रदेश शासन ग्रह मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 35–09 / 2020 / सी–दो , भोपाल दिनांक 17 नबंवर,2021 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है उक्त दिशा निर्देशो के अनुरूप जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की समस्त अध्ययनशालाओं में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियां 18 नबंवर 2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रारम्भ की जाती है

ऑफलाईन कक्षाओं का संचालन किया जायेगा, ऑनलाईन कक्षाओ का संचालन बन्द होगा उक्त निर्देशो के परिपालन में 100% क्षमता के साथ पुस्तकालय एवं स्नातक / स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं हेतु छात्रावास खोले जायेगे तथा मेस व्यवस्था की जायेंगी।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विश्वविद्यालय छात्रावास में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र–छात्राओं एवं समस्त स्टाफ को वैक्सीन के दोनो डोज लगवाना अनिवार्य होगा । केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 45+ संवर्ग के एवं द्वितीय चरण में 18+ संवर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के निर्देश है विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक एवं विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी तथा छात्र–छात्राऐं जिनके द्वारा दोनो टीके नही लगें है उन्हे दोनो टीके लगवाये जाऐ।

अतः कोरोना कोविड–19 के संक्रमण बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी किये दिशा निर्देशो का पालन सुनिश्चित करवाया जायें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप / सहा० कुलसचिव (प्रशा०), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. श्री संजय बरथरिया बेवसाइट प्रभारी उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर प्रसारित करे।

सहा / उपकुलसचिव (प्रशा०)

1711